उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-594/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.185-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(250)-2022

लखनऊः दिनांकः 21 जुलाई, 2022

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या क0नि0-2-983/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0एक्ट-1-2017-आदेश-(42)-2019 दिनांक 02 जुलाई, 2019 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं; अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, चौथे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि उक्त व्यक्ति, 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्वनिर्धारित कर संदाय के ब्यौरों से अंतर्विष्ट विवरण को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में 31 जुलाई, 2022 तक प्रस्तुत करेगा।

2. यह अधिसूचना तारीख 05 जुलाई, 2022 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव